यालय उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्री देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)

:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 57/2022 उनवान कमला बनाम श्रवण ::

1. कमला देवी पत्नी रामधन उम्र 35 साल जाति बैरवा निवासी ग्राम आकोडिया तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान। --प्रार्थीया

बनाम

1. श्रवण पुत्र केशरा जाति बैरवा
   1/1 काना पुत्र श्रवण
      1/1/1 धनराज पुत्र काना
      1/1/2 गणेश पुत्र काना
      1/1/3 मोनू पुत्र काना
      1/1/4 माया पुत्री काना
   1/2 रामधन पुत्र श्रवण
   1/3 सप्यार पुत्री श्रवण
   1/4 शान्ति पुत्र श्रवण सर्व जाति बैरवा सर्व निवासी ग्राम आकोडिया तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
2. दिपचंद गवांरिया पुत्र नंदाराम गवारिया निवासी ग्राम आकोडिया
3. कमला पत्नि छोटू जाति जाट निवासी ग्राम केरिया
4. कमला पत्नि नारायण जाति जाट निवासी ग्राम केरिया
5. काली पत्नि रामराज जाति जाट निवासी ग्राम केरिया
6. तेजी पत्नि रामरतन जाति जाट निवासी ग्राम केरिया
7. प्रेम पत्नि हंसराज जाति जाट निवासी ग्राम केरिया
8. सुरता पत्नि हरदीन जाति जाट निवासी ग्राम केरिया
9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अरांई अजमेर राजस्थान।

——अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:21:45 IST
Reason: SelfAttested

...य दिनांक 22.06.2023

प्रार्थीया की और से एक प्रार्थना पत्र वकील श्री रामनिवास बैरवा ने अंतर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 14.07.2022 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 57/2022 .पर दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की जरिये नोटिस तलबी की गई। 26.08.2022 को पत्रावली बाद तलबी पेश हुई। तामिलशुदा नोटिस प्राप्त होने के बावजूद प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

लगायत 09 की और से कोई उपस्थित नही हुये। तामिल कुनिन्दा की रिपोर्टनुसार अप्रार्थी 1 फौत हो चुका था इसलिये वकील प्रार्थी द्वारा दिनांक 06.04.2023 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत श 22 नियम 04 सी.पी.सी. वास्ते अप्रार्थी संख्या 1 तथा 1/1 के विधिक वारिसानों को रिकार्ड पर लिये जाने बाबत पेश किया गया जिसे स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 तथा 1/1 के विधिक वारिसानों को नोटिस जारी किये गये, अप्रार्थी संख्या 1/1/1 से 1/1/4 बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहे तथा इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 09 बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहने से दिनांक 14.06.2023 को कैम्प कोर्ट आकोडिया में अप्रार्थी संख्या 02 से 09 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर जवाब बन्द कर दिया गया।

प्रार्थीगण द्वारा जरिये अभिभाषक अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थीया की एकल खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम केरिया पटवार हल्का मण्डावरिया तहसील अराई में स्थित है जिसके खसरा संख्या 324/230 रकबा 0.6472 हैक्टेयर है तथा उक्त भमि पर प्रार्थीया वर्षों से काबिज काश्त है तथा मौके पर राजस्व रिकार्ड में मानचित्र के अनुसार ही काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थीया की उक्त भुमि से किसी भी अन्य व्यक्ति का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। चारो सीमाओं पर निम्नानुसार अप्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि है खसरा संख्या 232/56, 323/230, 231/56, 243/56 स्थित है।

अप्रार्थीगण आये दिन सींव मेड सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 09 एवं परिवारजन द्वारा प्रार्थीया की एकल खातेदारी की भूमि की सींव उखाडने पर आमादा हो जाते हैं तथा प्रार्थीया की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थीया काफी परेशान है। जिससे की प्रार्थीया की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना अतिआवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सदभावनापूर्वक पेश किया जा रहा है। यह है कि प्रार्थीया एक गरीब व वृद्ध काश्तकार है जो अपने व अपने परिवार का लालन पालन उपरोक्त आराजी से करती है जिसमें से अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से मेड सींव का विवाद करते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीया माननीय न्यायालय के समक्ष सदभाविक रूप से पत्थरगढी का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया की श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्रार्थीया की एकल खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम ग्राम केरिया पटवार हल्का मण्डावरिया तहसील अराई में स्थित है जिसके खसरा संख्या 324/230 रकबा 0.6472 हैक्टेयर है का जमाबन्दी व राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पत्थरगढी करने के प्रार्थीया के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करवावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:21:45 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा प्रार्थीया की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया अतः उपरोक्त विवेचन व सलग्न दस्तावेजानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम केरिया पटवार हल्का मण्डावरिया भू.अ.नि. आकोडिया तहसील अराई स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 324/230 रकबा 0.6472 हैक्टैयर (अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2074 –77)

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

...से स्थायी भूमि का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु ...दार अरांई को कमिश्नर फीस 1500/—रु अक्षरे एक हजार पांच सौ मात्र, पर कमिश्नर नियुक्त ...यी जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1500/— रु जमा करवाने पर वे स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर तथा पर्याप्त पुलिस जाप्ता व संसाधन लेकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 22.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:21:45 IST
Reason: SelfAttested